

## -:: आदेश ::-

अतः प्रार्थी द्वारा मांगे गए रास्ता हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 251-ए, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के उद्देश्यों के अनुरूप नहीं है, क्योंकि स्वयं की खातेदारी भूमि से लगता हुआ नहीं होकर दूसरी आराजियात भूमि जो कि अधिक दुरी वाले खसरा में से रास्ता मांगा गया है तथा तहसीलदार गनोडा मौका रिपोर्ट में प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में 2295, 2296 व 2289 में से रास्ता मांगा गया है परन्तु प्रार्थना पत्र अनुसार खसरा सं. 2289 का उल्लेख नहीं किया गया है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य नहीं होने से खारिज किया जाता है।

पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नंबर से कम होकर दाखिल दफ़तर हो।

निर्णय आज दिनांक 01.04.2026 खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मनसुख राम डामोर, आर.ए.एस.)

उपखण्ड अधिकारी

घाटोल

